

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(230)वित्त-1(1)आय व्ययक/2016

दिनांक : 27-10-2017

कोषाधिकारी,

जयपुर शहर, जोधपुर शहर, कोटा,
अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर।

(स्वीकृति संख्या 405 /2017-18)

विषय : वर्ष 2017-18 में नगर निगमों के निजी निक्षेप खातों में राशि हस्तान्तरण बाबत।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर की स्वीकृति क्रमांक.प6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/15972-16023 दिनांक 24.10.2017 (प्रति संलग्न) में अंकितानुसार सम्बन्धित नगर निगमों के निजी निक्षेप खातों में कुल राशि रुपये 19295.38 लाख (अक्षरे एक अरब बानवें करोड़ पिच्चानवें लाख अड़तीस हजार मात्र) निम्न बजट मद में व्यय अंकित करते हुए हस्तान्तरित कर दी जावे।

मांग संख्या - 29

2217 - शहरी विकास

80 - सामान्य

191 - नगर निगम को सहायता

(03) - विशेष अनुदान - प्रतिबद्ध

12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) - राज्य निधि

राशि रुपये 19295.38 लाख

उक्त हस्तान्तरित की जाने वाली राशि में से माह अक्टूबर, 2017 में राशि रुपये 6431.79 लाख, माह नवम्बर 2017 में राशि रुपये 6431.79 लाख व माह दिसम्बर, 2017 में राशि रुपये 6431.80 लाख प्रतिमाह विभागीय स्वीकृति (संलग्न सूची) के अनुसार माह के अंतिम कार्य दिवस को संबंधित निगमों के निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित की जावे।

भवदीय

(Handwritten Signature)

(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)


प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/लेखा परीक्षा-I राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन शासन सचिव महोदय, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
3. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर।
6. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर।
7. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-3 अनुभाग) विभाग, राज0 जयपुर।
8. अनुभाग अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।
9. वित्त (मार्गोपाय) अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग, जयपुर।
11. सुरक्षित पत्रावली।

(Handwritten Signature)

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

06. महालेखाकार, (लेखा एवं हक)/(लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज0 जयपुर ।
07. वरिष्ठ उप महालेखाकार, स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा एवम् लेखा, राज0 जयपुर ।
08. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राज0 जयपुर ।
09. जिला कलेक्टर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर ।
10. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
11. लेखाधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, लेखा एवं हक (डी.डी.प्रथम अनुभाग) जयपुर ।
12. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर ।
14. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर ।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जोधपुर शहर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया स्वीकृति में अंकित कालम संख्या 8 में अंकित राशि माह अक्टूबर 2017, कालम संख्या 9 में अंकित राशि माह नवम्बर 2017, कालम संख्या 10 में अंकित राशि माह दिसम्बर 2017 में माह के अन्तिम कार्य दिवस को सम्बन्धित नगर निगमों के निजी निक्षेप खाते में जमा करें ताकि प्रत्येक माह की एक तारीख को राशि आहरित की जा सके। प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नगर निगम कर्मचारियों के वेतन एवम् भत्तों के भुगतान हेतु नियमानुसार चैक पारित करे तथा शेष राशि माह की अन्तिम तारीख तक आगामी माह के लिये राशि निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित होने पर भुगतान करे। समस्त कोषाधिकारी इस बिन्दु का विशेष ध्यान रखे कि प्रत्येक माह कॉलम संख्या 8, 9 एवम् 10 में अंकित राशि से अधिक राशि इस स्वीकृति के अन्तर्गत निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित नहीं की जावे। प्रतिमाह यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सुनिश्चित करें कि पूर्व में इस स्वीकृति से आहरित राशि से कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान कर कटौतियों की राशि सम्बन्धित मदों में जमा करा दी गयी है।
16. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे कॉलम संख्या 8, 9 एवम् 10 में आवंटित राशि का प्रत्येक माह के अन्तिम कार्य दिवस को संस्था के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरण करवाकर आगामी माह की 07 तारीख तक प्रथमतः वेतन एवम् भत्तों के भुगतान एवं कर्मचारियों की कटौतियों को जमा कराने हेतु राशि आहरित करें तथा इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र विभाग को भिजवावें। साथ ही अगला चैक पारित करवाने से पूर्व कोषाधिकारी को प्रतिमाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि पूर्व में आहरित की गयी राशि में से कर्मचारियों के वेतन एवम् भत्तों की राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है तथा कटौती की राशि सम्बन्धित लेखों में जमा करवा दी गयी है।
17. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर ।
18. समस्त अधिकारीगण/बजट शाखा/अंक मिलान शाखा निदेशालय ।
19. प्रभारी वेबसाईट/प्रभारी ई-गवर्नेन्स/समन्वयक, सी.एम.ए.आर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
20. सुरक्षित पत्रावली ।


 (हुलसर राम पुरी)
 मुख्य लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर

वित्तीय वर्ष 2017-18 में नगर निगमों को आवंटित चुंगी पुनर्भरण अनुदान राशि की तृतीय किस्त

(राशि लाखों में)

क्रम संख्या	नाम नगर निगम	श्रेणी	वर्ष 2017-18 में आवंटन योग्य सकल राशि	माह अक्टूबर 2017 से दिसम्बर 2017 हेतु राशि	पेशान फण्ड की कटौति	शुद्ध राशि माह अक्टूबर 2017 से दिसम्बर 2017 हेतु राशि (5-6)	माह अक्टूबर 2017 के अंतिम कार्य दिवस को हस्तांतरण योग्य राशि	माह नवम्बर 2017 के अंतिम कार्य दिवस को हस्तांतरण योग्य राशि	माह दिसम्बर 2017 के अंतिम कार्य दिवस को हस्तांतरण योग्य राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	कोष कार्यालय, जयपुर शहर (1108)								
1	जयपुर	निगम	30455.76	7613.94		7613.94	2537.98	2537.98	2537.98
	कोष कार्यालय, जोधपुर शहर (1117)								
2	जोधपुर	निगम	8866.70	2216.68	416.68	1800.00	600.00	600.00	600.00
	कोष कार्यालय, कोटा (1118)								
3	कोटा	निगम	14992.22	3748.06		3748.06	1249.35	1249.35	1249.35
	कोष कार्यालय, अजमेर (1091)								
4	अजमेर	निगम	6875.09	1718.77		1718.77	572.92	572.92	572.92
	कोष कार्यालय, बीकानेर (1099)								
5	बीकानेर	निगम	4078.46	1019.62		1019.62	339.87	339.87	339.87
	कोष कार्यालय, उदयपुर (1128)								
6	उदयपुर	निगम	9302.94	2325.74		2325.74	775.25	775.25	775.25
	कोष कार्यालय, भरतपुर (1097)								
7	भारतपुर	निगम	4277.06	1069.26		1069.26	356.42	356.42	356.42
	योग								
			78848.22	19712.06	416.68	19295.38	6431.79	6431.79	6431.80

(अक्षरे रूपसे एक अरब बानवे करोड़ पिचयानवें लाख अड़तीस हजार मात्र)


(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव